"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

श्री राम अवधेश सिंह : मंत्री जी ने हमारे सवालों का जवाब दे दिया है क्या ? मैं समझता हूं कि इन्होंने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया है ।

श्री कल्पनाथ राय : आप यहां थे ही नहीं तो आपकी बातों का जवाब क्या देते ।

The Vice-Cchairman (**Dr. Bapu Kaldate**) in the Chair

THE REGIONAL RURAL BANKS (AMENDMENT) BILL, 1987.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Regional Rural Banks Act, 1976, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, Regional Rural Banks were first constituted by Government in October, 1975 under RRB Ordinance, 1975, which was later substituted by the Regional Rural Banks Act, 1976. They were conceived mainly as low cost institutions staffed by persons residing within the jurisdiction of the area of operation, namely, one or two districts for each RRB to ensure that in their functioning the RRB observed the utmost economy. At present, there are 196 Regional Rural Banks covering 357 districts in 23 States in the country

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal). Excuse me, what is the present figure of number of districts covered?

SHRI JANARDHAN POOJARI: 357 districts in 23 States. These banks have a network of about 13,000 branches The RRBs have mobilised deposits amounting to Rs. 1763 crores and given loans aggregating Rs 1846 crores. The total staff of RRBs comprise of 24067 officers, 22178 clerks and 631 subordinate staff as on 31-12-1986

The RRB Act contains various provisions regarding incorporation, regulation and working of RRBs. The present Bill seeks to make amendments to the main Act in the light of the experience gained in the administration of this Act during the last over 10 years. While commending the Bill for the consideration of the House, I shall confine myself to explain some of the more important provisions contained in the Bill.

At present, in terms of Section 6(1) of RRB Act, the issued capital of each RRB shall be Rs. 25 lakhs. In view of the growth in business, it is desirable that issued capital of Rs. 25 lakhs which was fixed more than 10 years ago should be revised upwards, and fixed between Rs. 25 lakhs and Rs. one crore for each RRB. This will enable the RRB to meet additional expenditure on account of the opening of branches in remote rural areas, servicing large numbers of borrowal accounts and training of staff etc. Simultaneously, the authorised capital is also being increased from Rs. 1 crore at present to Rs. 5 crores.

The Board of Directors of a RRB consists of a Chairman and not more than 8 directors to be nominated by the Central Government, the State Government and the sponsor bank. It has been the practice to nominate two non-officials on the Board of each RRB, one from quota of the Central Government and the other from sponsor bank. The other directors are officials of the sponsor bank, the State Government and the Reserve Bank of India In the interest of administrative simplicity, it is proposed that two non-officials may be nominated by the Central Government

[Shri Janardhan Poojari]

and the remaining six directors should be nominated by the Reserve Bank of India, NABARD, sponsor bank and the State Government directly according to the quota allotted to them.

According to the provisions contained in Section 11 of the RRB Act, the Chairman of a RRB is appointed by the Central Government. He is normally an officer of the Middle Management level of the sponsor bank. It is proposed that the Chairman should be appointed by the sponsor bank in consultation with NABARD.

Till recently, in terms of Section 17 of the RRB Act the RRBs were recruiting their staff and officers It has been considered necessary to enthe functioning relating to the recruitment of RRB staff to the existing Banking Service Recruitment Boards.

At present, there is no provision in the RRB Act for the amalgamation of RRBs Keeping in view the administrative convenience in regard to supervision and control over branches and without affecting the viability of the old and emerging units, it is proposed that there should be provision regarding amalgamation of smaller RRBs.

It is desirable that the sponsor bank should take over the responsibility of periodical and internal audit of the RRBs by the sponsor bank. The sponsor bank should also monitor the progress of the RRBs by keeping a watch on important indicators relating to deployment of funds, staff ratio and advise their RRBs on suitable corrective action where needed. For this purpose. it is proposed to suitably arm the sponsor banks with statutory authority.

It is proposed to provide that the obligatioin of the sponsor bank to aid and assist RRB by training of personnel shall be without any time limit, the obligation of the sponsor bank to provide for managerial and financial assistance shall be limited to the first five years of its functioning which period may be extended by the Central Government under certain circumstances and recruitment of personnel of RRBs will no longer by the obligation of the sponsor banks.

Sir, there are certain other provisions of minor nature in this Bill which are mainly of procedural or consequential nature.

With these remarks, I commend the Bill to the House for consideration.

The question was proposed.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Mr. Vice-Chairman, Sir, the problem about the Regional Rural Banks is that whatever the Government do, even when they intend to do something good, they cannot help doing something wrong There is absolutely no doubt in my mind that Regional Rural Banks are a useful device. Why do I say so? I will draw a picture of banking in India and contrast it with the general rural banks and indicate why Regional Rural Banks are good.

As you all know—he has also said it—in the rural areas it is not only the Regional Rural Banks which function but there are also rural branches of commercial banks, mainly of the public sector, and there are some private sector banks also. The number of branches of the commercial banks in the country-side is about 30,000 while that of Regional Rural Banks is approximately 13,000. This is one indication of the difference in the functioning of the powers-that-be. The other indication is that they have to take the rual people with them and so they have provided for rural Banks But the largest number of branches are in the commercial sector. This is one aspect that I want the House and the Minister to remember.

The second aspect—which is very importaht—is, in the rural branches of the commercial banks the credit-deposit ratio, as is admitted by the Reserve Bank of India, is coming down. More deposits are collected from the rural side and less money is given as advances or credit and, as we have repeatedly drawn attention to, this is more so in the eastern and north-eastern region I have got some figures about this In the north and the more advanced areas, the credit-deposit ratio is 75 to 80 per cent, and that also is coming down, reflecting the problem of the economy as a whole. But in the eastern region it is 50, 55 or 60 per cent. This is the kind of disbalance in the growth of the economy. But the main contrast that I want to draw is in the case of the Regional Rural Banks and there the credit-deposit ratio is invariably more than 100 per cent. It is not a fraction of the deposits. It is more than the deposits that go via the Regional Rural Banks to the rural sector, while the commercial banks mobilize deposits in order to lend the money elsewhere. If this statement is not believable, then I will quote a figure from the Reserve Bank of India. That figure shows that while bank deposits expanded, the advances have expanded in the case of medium and large industries to such an extent that in the course of one year their share of advances grew from 25.2 per cent to 46.7 per cent. We can imagine the close nexus between the large and medium sector controlled by the large houses and the finances of the commercial banks I prefer the Regional Rural Banks precisely for the reason that they do not have to cater to this sector. This welcome feature is there. Even in terms of mobilisation of deposits, it would be seen that a major part of savings from indiivduals is in the Rural Banks That is true for commercial banks also But the share of individuals is much higher in the case of the RRBs than in the case of the commercial banks The share of the salary earners, wage-earners in the RRBs, contrary to our belief that the commercial banks would be procuring more, is also much higher than that of the commercial banks. The deposits of the Government or the public sector, all the same, in the Regional Rural Banks is very little. Why should this discrimination continue to be there once the first step of establishing the RRBs, has been taken?

Madam, one question that I do not find any answer to is: Why can't it be that all regional and rural banks' branches including those of the commercial banks be merged with the RRBs? They have a higher credit-deposit ratio. You are unable to utilise all the deptsits in the commercial banks' branches The RRBs are closer to the people, and this is one argument which the Finance Minister utilises in order to deprive them of the wages that commercial bank employees get I wonder, if you think that the RRB is a success story, why you do not, number one, transfer all the branches of the commercial banks in the rural areas to these people. They have provision to advance for small entrepreneurs also Other banks concentrate on urban areas. Let them do that. This is one question that haunts me. I do not know what answer the Finance Minister has got today.

Secondly, I do not know and, therefore, I am asking: How many Regional Rural Banks are there really in the districts? About amalgamation of the Regional Rural Banks, I will come to that, and I have a point to observe. They have provided for amalgamation As of today, each district does not have a separate Regional Rural Bank. There are some 119 or 120 You correct me kindly.

SHRI VEERSHETTY MOGLAPPA KUSHNOOR (Karnataka): One hundred and ninety-six.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: One hundred and ninety-six Regional Rural Banks are there. But the districts covered are 356, which indicates that

[Shri Nirmal Chatterjee]

each Regional Rural Bank covers more than one district on an average. Why should that be so. If you find in the Regional Rural Bank the merit of contact with the ground, then, why should each district not have a separate Regional Rural Bank? That is the second question to which I would like to get an answer from you

Thirdly, how many districts are there where there is majority of urban population? I know of one district in West Bengal. That is known as Calcutta. Certainly Calcutta, as a district, is entirely urban. How many such districts are there where the urban population is in majority? Ney, I will go stronger. How many districts are there where the rural population is not in an overwhelming majority? If such districts are rare, then tell me why is it that the lead banks in each district should come from the commercial banks and not from the Regional Rural Banks? This is another question which I do not know what answer the Government have. If rural lending is primarily the objective, including the small entrepreneurs, artisans, peasants, the lead bank should be the regional rural bank. Following from this may I make a submission if this whole approach of having a sponsored bank for a regional rural bank, is not almost a thinking of the colonial days? Delink them. We need regional rural banks. They can function well have their autonomous existence independent of the sponsored banks. If you want expertise, you can always borrow from the public sector banks. So, the lead banks, I suggest, should be the regional rural banks and no other banks It is in this context I offer my criticisms of the Bill. What is the criticism? The fact that you are providing for a larger equity is welcome It could have been more, it should have been more, but in doing this good piece of thing, limited though, what are you ignoring? A director from the State will come from amongst those who are the relevant people, closest to the ground in the district Are we not talking about the Panchayati Raj or Panchayati system even where it is non-existent? If that be so, is it not absolutely necessary that for a regional rural bank there should be a director from Zila Parishads? You cannot dream in this manner You are so aristocratic, so exploitative in your psychology that you condescend upon the Panchayati system Therefore, when you are forced to think at least about the State, you cannot think about the fact that the Zila Parishad should send one who should be its chairman or Sabhapati should be on the Board of Directors. You say that the employees are paid lower wages, lower scales so that they are in tune with the State employees and in tune with the income level of the rural people or the district. Now, if you accept that they are granted lower wages for having some kind of function that commerical banks are engaged in expecting that the commercial bank branches have nexus, the employees can establish with the large and medium owners, if this is the kind of expectation you have, then why do you deny the employees from the regional rural banks a position in the management of the regional rural banks? Why don't you have in that case a director from them also? This is another thing which I fail to understand. You have introduced amendments. Your Clause 4(1) says that the headquarters of the regional rural bank—not in the amendment, in the original Act—will be decided by whom? By the Centre You don't have this common sense that in order to handle credit, in order to handle deposits, the person who knows most about the district would be the district Panchayat people You have no provision to consult them about where the headquarters should be. This is about Section 4 That is about Clause 9 about Directors. And you talk of amalgamation. Can you imagine? I do not know whether it is a slip or cynicism one hundred per cent that introduces this kind of amendment.

Sir, think of amalgamation which they are talking about. I believe there should be further disjoining so that each district can have RRB. They in their anxiety have provided for amalgamation in case the need arises. I am afraid they feel that they should be amalgamated immediately. But while amalgamating I read the clause "Every notification issued under sub-clause may also provide for "all"—mark the word "all" or "any" of the following matters. All or any which are the two things? First thing is about the conditions of the emplyees and the second is about the other. You want to protect while amalgamating. You provide for "all" or "any" not compulsory that the employees' emoluments or conditions of the service will be protected. I do not know whether it is a slip or it is a demonstrated cynicism when you are prepared to attack the employees. (Time bell) Sir, if you ring the bell, I will continue to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): I am sure you will not do that

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Give time for this side also.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: I think the Parliamentary Affairs Minister would be encouraging me to speak. But if we consume more time, then, somebody will come from the Lok Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): I am trying to discourage you.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: I mentioned about the directors. I have submitted some amendments. So this is what I say about the notification. Your tributes, homage to State Governments that the director will be from the State Government, would be very excellent. A Chairman has to be dismissed. Who will dismiss? You do not have the courtesy to provide for since all these are separate entities. In dismissing the director from the State or the State Government, you have to be consulted. This is what you have provided for.

Lastly, I will conclude, because I am such an obedient Member, that one of the problems of the wage structure is each State have a pattern, each RRB is situated in one State and they have a particular pattern of scales which is inconsistent with the State's structure. Now, the fun of the situation is that if they decide that injustice is being done and we must talk to some people the entire Bill does not provide for any authority to whom they can talk. Whom will they talk to? The scales are decided by the State RRB. It is governed by NABARD. All the RRBs are united. There is a very big union. They do not know whom to talk to. You go to RBI; they will say go to NABARD. You go to NABARD; they will say go to State Regional Rural Bank. You go to RRB; they will say go to Sponsor Bank. Is it this kind of attitude, is it this kind of provision of authority which will help inspire the employees of the RRB to function as they were functioning according to the estimates of the Ministry of Finance? We have given the amendments and we also know the rigidity that a particular Minister is involved in because the clearance has to come from the supremo. The attack or the refusal to attack the concession tr withholding the concession cannot be decided by the Minister particularly after the Fairfax issue. It has to come from the supremo.

I, therefore, submit that in case you feel inclined to accept the amendments that we are moving, then you do not give your reply today; consult your supremo and come back tomorrow to give your reply Thank you.

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय पुजारी जी द्वारा रखे) गए प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन

[श्री मोर्जा इर्शादबेग]

विधेयक, 1987 के समर्थन में मैं अपना वक्तव्य दूंगा।

मान्यवर नरसिम्हन ग्रुप ने सन् 1975 मे ग्रामीण बैंको की स्थापना का सुझाव प्रस्तुत किया और सरकार ने इसे मूर्त स्वरूप दिया। बैंको के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् छह वर्षो में भी ग्रामीण जनता के समूह नही बन सके थे और सहकारिताएं भी सही मायने में कहिए वह इन्हें लाभान्वित नही कर पाई थी इसलिए केन्द्र तथा राज्य ने स्पोसोर्ड बैंक के सहकार से एक नई व्यवस्था देश के समक्ष ग्रामीण बैंकों की बनाई। सन् 1976 तथा 1977 मे कामदस स्टडी ग्रुप तथा तांदवाला समिति ने इस दिशा मे अच्छे निर्देश दिए। मान्यवर 30 जून 1986 मे 341 जिलो मे और जैसा अभी मत्री जी ने कहा अब इसकी संख्या शायद 356 हो गई है, 193 शाखाएं देश मे प्रस्थापित की और यह भी उल्लेखनीय है कि इन बैंकों ने 40 लाख की डिपोजिट से प्रारभ करके 188 बैंको ने उसे एक वर्ष पूर्व 1 लाख 286 करोड़ रुपये तक पहुचाया, एडवांस के मामले में 1,408 करोड़ तक उसे पहुंचाया है।

मान्यवर, ग्रामीण जनता और खासकर किसान पैसो के भुगतान में बड़ा ही प्रमाणिक है और अन्य बैंकों की अपेक्षा ग्रामीण बैंकों की रिकवरी 75 प्रतिशत से भी अधिक है। यह मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो लोग दूसरे विस्तारो में अन्य बैंको से ज्यादा कर्ज लेते है, पैसे की मात्रा भी उनकी ज्यादा होती है और जो भुगतान, रिकवरी रेशो है, वह बहुत कम आता है। यह अलग बात है, कि जैसा अभी मान्यवर सदस्य ने कहा, नार्थ-ईस्टर्न क्षेत्रो मे इसका प्रभाव कम है और 3 प्रतिशत मात्रा में इन बैंको का वहा पर गठन किया गया है, जिसका विस्तार करना आवश्यक है। मैं मान रहा हू, मंत्री जो इस दिशा में भी सक्रिय होकर आगे कदम उठाएगे।

मान्यवर, बैंको की वायबिलिटी डिपोजिटो पर निर्भर है, जिसके अभाव में ग्रामीण बैंकों का विकास अवरुद्ध होता है। सन् 1986 में डिपोजिट-ग्रोथ रेट के जो आकड़े थे, उसको मद्देनजर करना आवश्यक है। मान्यवर, मैं सदन के सामने आकड़े प्रस्तुत करना चाहूगा कि रूरल क्षेत्रो में डिपोजिट ग्रोथ 14,230 करोड़ यानी 14.5 प्रतिशत, सेमी-अरबन क्षेत्र मे 20,380 करोड़ यानी 20.8 प्रतिशत, अरबन-क्षेत्र में 25,481 करोड़ यानी 26 प्रतिशत तथा मेट्रोपोलिटन क्षेत्र मैं 37,899 करोड़ यानी 38.4 प्रतिशत हुआ। इससे स्पष्ट है सबसे अधिक मेट्रोपोलिटन क्षेत्र और अरबन क्षेत्रो में रहा। मान्यवर, यह गौर करने के काबिल है कि 191 ग्रामीण बैंको मे आज 90 करोड़ का घाटा है, जो इस पर निर्भर होता है।

मान्यवर, दांतवाला समिति ने जो वाणिज्यिक बैंको में ग्रामीण क्षेत्रो की जो क्रेडिट बिजनेस की सिफारिश की थी, उसके अनुसार उनका जो क्रेडिट बिजनेस है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में सपोर्ट करना चाहिए। मै मत्री जी से यह स्पष्ट जानना चाहूगा कि इस दिशा मे क्या प्रगति हुई है, वह सदन के सामने बताने की कोशिश करें।

मान्यवर, सातवीं योजना में ग्रामीण बैंको का विस्तार देश के तमाम जिलो में करने का मै स्वागत करता हूं। आई०आर० डी०पी० के लाभान्वित व्यक्तियो का चयन करके उसे अधिक सहारा इन बैंकों के माध्यम मे देकर हम उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सहायता कर सकते हैं। मैं मत्री जी से इस बारे में जानकारी चाहूगा कि आगे इसमें किस तरह के कदम लेने है और किस तरह, कितने व्यक्तियों को इस माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिश की गई है?

मान्यवर, अभी चटर्जी बाबू बात कर रहे थे, 1981 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 68.4 करोड़ है जिसके 76.3 प्रतिशत लोग यानी 52.2 करोड़ लोग 5.76 लाख गांवो मे बसते है। मान्यवर, इन तमाम गांवो में एक हजार से कम आबादी के जो गांव हैं उनकी संख्या, 71.5 प्रतिशत है। इसी से यह

तिपादित होता है कि हमारी तमाम ग्रायोजनाग्रों के लिए–गांव तथा गांव से सम्बद्ध कृषि, कृषक तथा ग्रामीणो के लिए हमें समुचित ध्यान देना है । मान्यवर, इसमें से 6 लाख गावो मे 52 करोड़ लोग बसते हैं। इसलिए मै समझता हू कि हमारा जो विकास का दृष्टिकोण है, जो लक्ष्य है वह ग्रामीण जनता ग्रौर ग्रामीण क्षेत्र के विका का लक्ष्य है।

मान्यवर, केलकर समिति ने जो ग्रपने सुझाव दिए थे ग्रौर उसके प्रस्तावो के कार्यान्वयन के संबध में भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, जैसाकि ग्रभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे ग्रामीण बैंको की स्थापना ही वाणिज्य बैंको तथा सहकारी बैंको के ग्रच्छे ग्रंगों का मिश्रण है । चटर्जी बाबू ग्रभी कह रहे थे कि वाणिज्य बैंकों के साथ ही इन चीजों को चलाना चाहिए । लेकिन वाणिज्य बैंको के भी कुछ ऐसे ग्रंग थे, जिनकी वजह से वहा करपसन था । इसी तरह सहकारी बैंकों मे भी कुछ ग्रवगुण थे । इसलिए मैं समझता हूं कि इन दोनो के जो ग्रच्छे लक्षण थे उनको शामिल कर के ग्रामीण बैंकों की स्थापना का ग्रच्छा प्रयास किया गया है ।

मान्यवर इस सबंध मे केन्द्र सरकार के 50 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का 15 प्रतिशत ग्रौर स्पोसर्ड बैंको के 35 प्रतिशत योगदान पर इसकी बुनियाद रखी गयी है किन्तु इसमे शेग्रर कैपिटल के जो 49 प्रतिशत रूपए खत्म हो गए । ग्रब इसमें जो इजाफा किया गया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । मान्यवर, इन सब बातों को देखते हुए ग्रगर हम सबसे पहले इसके घाटे को देखें तो पाएंगे कि इन बैंकों का घाटा करीब 90 करोड़ रुपयों के करीब है । मैं कहूंगा कि सरकार को नाबार्ड की बजाय स्पोंसर्ड बैंक से रिफायनेंस की सुविधा देनी चाहिए ताकि इसका विकास सही मात्रा में हो सके । मान्यवर यदि 7 प्रतिशत की दर से नाबार्ड को यह सुविधा प्राप्त हो सकती है तो यह हम ग्रामीण बैंकों को क्यों नही दे सकते । मान्यवर में चाहूंगा कि क्रेडिट डिपाजिट रेशियो का दुराग्रह इन ग्रामीण बैंको के सम्बन्ध मे नहीं रखना चाहिए । यह विधेयक का जो संशोधन है वह ग्रामीण जनता के लिए लाभप्रद है । इसका मै स्वागत करता हूं । किंतु कामर्सियल बैंको की तरह भ्रष्टाचार के पंजे इन ग्रामीण बैंकों पर भी फैलाए हैं । ग्रब देखना है कि इन बैंको के माध्यम से बीस सूत्रीय तथा पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा ।

मान्यवर इन ग्रामीण बैंकों में स्थापित हितो का निवारण करने की कोशिश की गयी है । मैं उसका स्वागत करता हूं : लेकिन यह भी देखना है कि कही यही स्थापित हित इस बैंक बिल के दरवाजे से ग्राकर उसके कार्यक्षेत्र पर ग्रपना विस्तार न करें । यह देखना ग्रति-ग्रावश्यक है ।

मान्यवर इसमें कर्मचारियो की भी बात बतायी गयी है । मान्यवर मेरी यह मान्यता है कि कोई भी कार्यक्रम लिया जाय जब तक उस कार्यक्रम के साथ उसका कमिटमेंट नही हो तो चाहे वह बैंक का क्षेत्र हो चाहे वह रिजर्व बैंक का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो जब तक उसमें काम करने वाले लोगो का कमिटमेंट नही है तब तक उसके जो परिणाम ग्राने चाहिए वह सही मात्रा मे हम नही ला सकेंगे । इसलिए मान्यवर यदि कर्मचारियो ग्रौर ग्रधिकारियो का ग्रामीण विकास के साथ यदि कमिटमेंट नही है तो इसके परिणाम हम नहीं ला सकेंगे ग्रौर हमने ग्रामीण विकास का या गरीबी रेखा से गरीबो को उठाने का जो लक्ष्य बनाया है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा । इसलिये इन बैंको के कर्मचारियो की सेवा में समर्पित होना चाहिए । मैं यह मांग करूंगा कि कम से कम ग्रामीण जनता क्या है ग्रामीण जनता की मांग क्या है ग्रौर ग्रामीण जनता की विकास ग्रौर उसका विस्तार हम कैसे कर सकते हैं इस सबकी जानकारी देने के लिये उनको ग्रपनी सेवा मे लेने के पूर्व यह ग्रनिवार्य कर देना चाहिए कि एक महीने की ट्रेनिंग

[श्री मिर्जा इर्शादबेग]

ऐसे कर्मचारियों को अवश्य दी जायगी ।. ऐसी मांग में मंत्री जी करता हूं ।

ग्रामीण अर्थ व्यवस्था क. अगर बल प्रदान करना है तो हमें चाहिए कि हम इसमे अधिक पैसा दें। वहां हमको डिपाजिट कम मिलेगे क्योंकि वहा सोर्सेज कम है और वे लोग गरीब है । हमको चाहिए कि उनकी हम ज्यादा से ज्यादा सहायता करे और इसकी क्षमता को हम बढ़ायें और ऐसे कमिटेड लोगो को इसमें शामिल करें कि जो इस काम को आगे बढ़ा सके ।

इसके अंदर कामदारो की बात कही गयी है । 44000 कामदारो में से 29000 कामदारो को इसके अंदर प्रशिक्षण दिया गया । अब देखिये जो इस व्यवस्था मे शामिल किये गये लोग है उनको कितनी मात्रा मे हमने प्रशिक्षण दिया है । अगर इस प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया में कुछ और लोग छूट गये है तो मै माग करूगा कि उनको सबसे पहले आप प्रशिक्षित करे और उसके बाद की इस कार्यक्रम को आप आगे चलायें ।

मै यह भी कहूगा और मुझे दुख होता है इसको लेकर कि किन्ही कि ही क्षेत्रो में त बड़ी डिस्पेरिटी है । अभी अपने एक मित्र से मै बात कर रहा था । सेंट्रल गवर्नमेंट मे एक ड्राइवर है, एक डी०टी०सी० का ड्राइवर है, एक स्टेट गवर्नमेंट मे ड्राइवर है, वहां की स्टेट ट्रांसपोर्ट मे ड्राइवर है, तो काम सबका गाड़ी चलाने का है लेकिन उन की पगार जो उनको मिलती है, जो उनकी सैलरी वह अलग-अलग है । अगर उनका काम एक है तो उनकी पगार अलग अलग क्यों है ? इस प्रकार के रेट को एक करने का हमारा प्रयास होना चाहिए और इस लिये मै मांग करूंगा कि इन बैंको में काम करने वाले जो कर्मचारी है वह दूसरों की तरह ही काम करते है और इसलिये जो उनके बतनमान है उन को समान होना चाहिए और इस बात की मैं मंत्री जी से माग करता हूं। साथ-साथ मै कहना चाहता हूं कि इस दन की एश्योरेंस कमेटी का मैं एक सदस्य हू । अभी जब हम बाहर गये तो मैंने देखा कि यहां सरकार ने एक घोषणा की, नीति की घोषणा की कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जितने भी कर्मचारी हैं उनको वहा के एडमिनिस्ट्रेशन में स्थान दिया जायगा । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो अधिकारी लोग वहां बैठे हैं जब उनको पूछा गया कि सरकार की इस नीति का कार्यान्वयन आप क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने उसके लिये बहानेबाजी बतायी । यह इसलिये कि उनका उस नीति के लिये कोई कमिटमेंट नही है और आज देश मे जो कार्यक्रम चलाये जाते हैवे इसलिए चल नहीं पाते हैं सरकार जि नीति की घोषणा करती हैं उसके उचित परिणाम प्राप्त नही होते है । मेरा मत है कि अधिकारियों के दिल दिमाग और दृष्टि उस नीति के साथ जुड़ी हुई नही है । इस लिये मैं माग करूंगा आपके माध्यम से पुजारी जी से कि इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को लगाया जाय कि जो इस नीति को पूरा करने में विश्वास रखते हों, एक दृष्टि रखते हों क्षमता रखते हों । ऐसी मांग में पुजारी जी से कर सकता हू और मुझे पूरा विश्वास है कि इन बैंकों में काम करने वाले जो व्यक्ति है उनको, सरकार ने जो नीति घोषित की है उसके अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन में प्रतिनिधित्व दिया जायगा और उनको सचालन की पद्धति मे शामिल किया जायगा ।

मैं फिर एक बार डिस्पैरिटी की बात करता हू । अभी आकड़े मैंने बताये कि ग्रामीण जनता की संख्या क्या है । कितने लोग वहां रहते है और कितने शहरों में रहते है, लेकिन जिस धनराशि के वे हकदार हैं वह उनको मिलती नही है । जो कार्यक्रम सरकार बनाती है उसमें भी कुछ डिस्पैरिटी मिलती है । बैंकों मे व्यापारियों के लिये क्रेडिट की सीमा है, लेकिन किसानों के लिये कुछ नही है । ग्रामीण क्षेत्र का इंसान किसान है, उसके लिये क्रेडिट की कोई सीमा नहीं है वह क्रेडिटलैस है । बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले गरीब, मजदूर, जूता पालिश करने वाल, साग भाजी बेचने वाले की कोई हैसियत नही थी । जिसके पास बंगला हो मोटर हो उसका क्रेडिट बैंक में चलता था । इंदिरा जी ने यह कार्य

5.00 p.m.

क्रम शुरू किया था बैंकों का नेशनलाइजेशन करके ताकि किसानों को गरीब लोगों को लोन मिल सके लेकिन आज व्यापारियों के लिए या जो इडस्ट्रीज चलाते हैं उनके लिए तो क्रेडिट की सीमा है। लेकिन किसानों के लिए बैंकों में क्रेडिट की कोई सीमा नहीं है, । इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों के लिए भी क्रेडिट की सीमा तय करने पर आप विचार करें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और शायद आप भी इससे सहमत होंगे कि किसानों का उनमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जहां भी आप जाएं आप देखेंगे कि किसानों का बैंकों में कोई प्रतिनिधि नहीं होता। मैनेजमेंट में कम से कम पंचायत का प्रतिनिधि, परिषद् का प्रतिनिधि या हकरी समिति का कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि इसमें जो नन-अफिशियल डाइरेक्टर होंगे । लेकिन कम से कम जो जन प्रतिनिधि हैं उनका इनमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, किसानों को उनमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सांसदों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. हर मर्तबा जब बिल आते हैं तो हम उसके बारे में कहते हैं, लेकिन ये बिल जहां ड्राफ्ट होते हैं वे लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो । इसलिए मैं मांग करूंगा कि जन प्रतिनिधियों को उसमें शामिल करना चाहिए ।

माननीय, पिछले एक वर्ष के आंकड़े हम देखें, अगर मेरे आकडे सही है, तो 40 प्रतिशत ग्रामीण बैंकों में फील्ड आफिसर नहीं है। यह बात अगर सही है तो उनको भरने की कोशिश आप करें। इसके लिए कोई शैड्यूल्ड टाइम भी नहीं बनाया गया है कि बैंक कब खुलता है, कब बंद होता है । इसलिए मैं मांग करूंगा कि इन बातों को इसमें शामिल करें । (समय की घंटी)

अखिर में मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा हमारे आर०बी०आई० और सहकारिता के द्वारा उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए क्योंकि पिछले दरवाजे से ऐसे तत्व आ जाते जो पूरे कार्यक्रम का तोड़ दें, और वहां पर भ्रष्टाचार हो जाए। भैंस के लिए लोन लेना है तो सौ दो सौ रुपए किसी की जेब में न डालने पड़े । इसके लिए माननीय मंत्री जी ने कई राज्यों में दौरे किए है । मैं आशा करता हूं कि इस ओर मंत्री जी ध्यान देंगे और जो सुझाव मैंने दिए है, उन पर मंत्री जी विचार करके उस दिशा में अमल करेंगे ।

श्रीमन्, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Now, Mr. Ramanathan.

SHRI V. RAMANATHAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill because this Bill seeks to strengthen the Regional Rural Banks to help effectively the rural poor and also the agricultural people, particularly the people living in the rural areas. The living conditions of these people are to be improved. Therefore, I welcome this Bill.

Now, Sir, rural unemployment has gone up among the educated as well as the uneducated. Rural indebtedness is growing higher and higher and the problem of rural indebtedness cannot be solved unless some drastic and strong action is taken to safeguard the interests of the poor people in the rural areas. The social division in the economy also has increased and the gap is widening. The social set-up generates needs for all, but only a few are satisfied. Unless we take some drastic steps to raise the per capita income of the rural poor, unless rural indebtedness is rooted out, unless measures are taken to prevent the rural population from depending on private money-lending, and unless we make them earn at least to the extent of making both ends meet, any spending by the Government will be only on paper and the result will only be frustration among the rural population and if this frustration increases, it will one day burst resulting only in

[Shri V. Ramanathan]

bloodshed and violence and, under such circumstances, no Government would be able to save the situation. The interests of the rural poor cannot be safeguarded at that stage Therefore, we must see that this frustration does not increase. But now this frustration is slowly developing in the rural areas particularly among the youth, and a moral vacuum and value crisis are slowly emerging in the society today. They have begun to think that freedom itself is a privilege of the powerful and the State has become a powerful tool to safeguard the existing unjust social structure and situation. So we must bring them out of this frustration. We must impress upon them that we are only planning for a value based society where there will be definite demolition of domination and discrimination. To bring them out of poverty the per capita income has to be raised. This Bill seeks to increase the per capita income Therefore, I welcome this Bill

Regional rural banks must be distributed invariably almost to all areas, because unless the people are able to go and get money at a low rate of interest, they cannot solve their problems. And the opening of its branches should also be done in such a way as not to create regional imbalances. It must not go in competition with rural co-operative banks The regional Rural Bank is mainly a lending bank. It may not be possible for that Bank to get deposits Therefore, it may not be able to get resources unlike commercial banks So the sponsor banks must see that this Bank has the necessary capital. Unless the capital comes there, unless they are able to provide loans to persons who are approaching them for loans. they cannot solve the problem.

Re-finance facility by the sponsor banks on the rate charged by NABARD may be adopted. Th funds deposited by the Regiona Rural Banks must get a high interes not less than 10 per cent. Then onl these banks can become viable.

Regarding the training of the pe sonnel, the sponsor banks must tak proper care and attention, becaus they must be able to approach th rural people, they must find out thei problems, they must identify thei difficulties and they must go an help them in whatever way they ca We must educate them how they ca use these banks, and so on. There fore, their personnel must be traine in such a way that the purpose i view is achieved.

Further, the borrowers must l given loans with not many formal ties. If a villager goes to a bank, h is driven to go to the taluk, to village officers, and so on. It becomes diff cult for them. They find it difficu to get even Rs. 2000 or Rs. 300 Their property documents are ther With the help of these documen they must be able to provide the loans. And when natural calamitic are there, they must give an opport nity to the borrowers, some time f the borrowers. The cooperatives i the States are also helping the rura population by wiping out their loan interest or penal interest and s that But in the nationalised bank or rural banks they are not givir such facilities. Therefore the coop rative banks are not able to provic them as much loans as it is expecte of them by the rural populatio Then these banks come to help then They are not getting the facilitie Therefore, these regional banks mu also be given some authority or th Government must provide them suc facilities to safeguard the interests c the poor people when they meet wit natural calamities and they are nc able to pay the loan in time In suc circumstances, they must be prepare to write off the loans If they ar not able to write off the toal amoun at least they can write off the pena

interest and some other interest. As I told you, the rural population is becoming economically weak. The gap is widening. The agricultural indebtedness is increasing. Unless some sort of help is given, the people there cannot come out of poverty. I want to congratulate our Minister who is taking a lot of interest in giving these loan. There may be a lot of allegations that there are some political motive behind the loan melas. I do not want to go deep into this matter. Anyway, they are helping a lot. If there is no ptlines, it will be better. The people are benefited and to that extent I congratulate him. Therefore, I welcome and support the Bill.

I would like to submit that the problem of indebtedness is making the rural people suffer. The moneylenders, small financiers and chit fund holders are charging an interest of 60 per cent from the rural people. They charge Rs. 5/- per month on a loan of Rs. 100/-. The interest rate comes to 60 per cent. These small moneylenders, so-called financiers and chit fund holders cheat the poor people These chit fund companies have become cheating companies. They are cheating the rural poor. Therefore, the Government must take all care to safeguard the rural people from the exploitation of these chit fund people and financiers.

As Mr. Nirmal Chatterjee suggested, the Directors must also be from the rural poor. They know how the rural population is suffering. They know their condition better than the buraucrats and officers They know how to get deposits and from whom. They know the people whom they have to distribute this money The people having experience of the rural areas may be appointed as Directors. The salary of the employees should be at par with the salaries of the employees in other banks, the nationalised banks, and the bigger banks In bigger banks situated in big cities, the people or employees work in air-conditioned offices and they are enjoying all the facilities whereas the employees of the banks in rural areas have no educational facilities, medical facilities and other facilities. The interest of these employees must be safeguarded. They must be properly trained. They must be properly utilised and properly paid. Otherwise, this scheme will not be successful. If these measures are taken, then this scheme will become successful and it will change the society. With these words, I welcome the Bill.

श्रीमती सुधा विजय जोशी (महाराष्ट्र): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं रीजनल रूरल बैंक्स (एमैन्डमेंट) बिल 1987 का समर्थन करना चाहती हू ।

मान्यवर, हमारा भारत गांवों में बसता है। गरीब से गरीब लोग वहां रहते हैं। इन गरीबों को बैंक सेव उपलब्ध क वा कर उनकी हालत में सुधार लाने की भावना से सन् 1975 में नरसिम्हन कमेटी ने आर० आर० बी० के निर्माण की जोरदार सिफारिश की थी । 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रगतिशील कदम श्रीमती इंदिरा गांधी ने उठाया और 1975 में आर० आर० बी० की स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में विकास की दृष्टि से इंदिरा जी ने प्र.रम्भ की। महोदय आर० आर० बी० की आवश्यकता ख.सकर इसलिये महसूस की जाने लगी थी क्योंकि राष्ट्रीयकरण के 6 साल बाद भी कमर्शियल बैंक शहरों तक सीमित रहे और कोआपरेटिव्स बैंक ग्र.मीण जनता तक पहुचने के लिये कोई खास बदलाव अपने दृष्टिकोण में अपने कार्य करने के तरीको मे लाने में असमर्थ रहे । ऐसी हालत देहात की अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये खेती, व्यापार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्रीय ग्र.मीण बैंकों की स्थ.पना हुई। मान्यवर, 1980 के आखिर मे 87 आर० आर० बी० काम कर रहे थे और उन्होने 141 जिलों में अपनी शाखायें स्थ.पित की थी। 30 जून 1986 में 193 आर आर० बी० गठित हुए और 341 जिलो में उनकी शाखाये स्थापित की गई। अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि 357 जिलों मे इनकी शाखायें स्थापित की गई है। वैसे तो बहुत से जिले और बहुत से लोग बैंक सेवा का लाभ उठा रहे हैं। फिर भी

[श्रीमती सुधा विजय जगशी]

देश के सब जिले इससे कवर नही हुए हैं । इसलिये इन बैंको का क्षेत्र और व्यापक करने इनको और बढ़ाने की सख्त जरूरत है । दूरदराज के पहाड़ी इलाके रेगिस्तान के इलाके आदिवासी इलाके और बहुत सारे जो पिछड़े हुए इलाके है इनमें इनकी शाखायें खुलनी चाहिए ताकि इन बैंको की सेवाये उन लोगो तक भी पहुंचे जो कष्ट दायक जीवन व्यतीत करते है । जिनके लिये इन बैंको का गठन किया गया है उन्हे पता भी नही होता कि इन बैंकों के जरिये किस प्रकार की सुविधाये प्राप्त की जा सकती हैं कर्जा लेने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है किस प्रकार बैंको की मदद से वे अपने खेत व्यवसाय और छोटे उद्योगो को बेहतर बना सकते है । इसके लिये जरूरी है कि आर आर बी क्या काम करता है किस प्रकार की सहायता देता है इसका प्रचार होना चाहिए । प्रसिद्धि के हर तरीके को इसके लिये अपनाया जाय जिससे बैंको की उपयोगिता की जानकारी, जिनको मदद की जरूरत है उन लोगों तक पहुच सके और वे इन सुविधाओं का फायदा उठा सके । कर्जा देने का प्रोसीजर भी सिम्पल और सीदामादा होना चाहिए जिसको अनपढ़, किसान और मजदूर आसानी से समझ सकें वहां पर अनेक प्रकार के सर्टिफिकेट मागे जाते है अनेक प्रकार की औपचारिकतायें होती है फार्मेलिटीज होनी है । जहा तक हो सके ये फार्मेलिटीज कम की जाय या खत्म ही की जाय । नैसर्गिक आपत्ति से किसानो को नुकसान पहुचा है । शार्ट टर्म लोन को लाग टर्म लोन मे बदला जाय । शादी ब्याह बच्चो की पढ़ाई मकान बनाने के लिये और यहा तक कि बीमारी के लिये ग्रामीण बैंक कर्जा देकर लोगो की मदद करे क्योकि आज भी इन बातो के लिये गरीब देहाती साहूकार के चगुल में फसा रहता है और ये साहूकार उनका खून चूस चूस कर उनके अस्तित्व को ही नष्ट कर डालते हैं ऐसी हालत में कम ब्याज लेकर बैंक उन्हे कर्जा देने के कार्य मे आगे बढ़े ।

महोदय डिपोजिट टु एडवास रेशियो 100 108 है । किसी भी फाइनेंसियल इस्टीट्यूशन के मुकाबले में यह रेशियो अच्छा और ज्यादा है । एडवांस रिकवरी भी 75 प्रतिशत है । यह अत्यन्त ही ग्रहणीय चीज है । लेकिन मूलत: इन ग्रामीण बैंको मे डिपोजिट बहुत कम आते है और इसके कारण एडवास भी कम दिये जाते है । इसलिये वह समय पर भी कर्जा नही दे पाते है । इस कारण उन जरूरतमद लोगो की जरूरत पूरी नही होती । इसलिये आर आर० बी० के पास ज्यादा कैपटल होनी चाहिए ताकि वे बैंक किसी और अन्य लोगो को समय पर कर्जा दे सके । किसानो को खेत मे बुआई करनी है खाद चाहिये तो उसके लिए आवश्यक पैसा बैंक से समय पर मिल जाएगा तो इससे किसान को उसका फायदा होगा लेकिन ग्रामीण बैंको के पास बद का पैसा बहुत कम होता है उन्हे पैसो के लिए नाबार्ड पर और सपोसर बैंक पर निर्भर रहना पड़ता है । इस बिल के जरिये से सपोसर बैंक को थोड़ा पोजिटिव रोल दिया गया है । इससे सपोसर बैंक उसे सपोसर की हुई आर आर बी के काम का नियमित परीक्षण कर सकता है और इटरनल आडिट तथा मानिटरिंग कर सकता है । आशा है इससे ग्रामीण बैंको के कार्यो में थोडा सुधार होगा । लेकिन आर आर बी० और उनकी बहुत सी खाएं घाटे मे चलती है । नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 1986 तक 191 आर आर बीज मे से 141 आर आर बीज मे 89 6 करोड का घाटा हुआ । दीर्घकालीन नीति तय करने के लिए सरकार ने एक स्टडी ग्रुप भी गठित किया था और उससे लगता है कि कुछ स्ट्रक्चरल चेजेज की आवश्यकता महसूस हो रही है । इस बिल के अनुसार आथोराइज्ड कैपिटल एक करोड़ से पांच करोड़ तक बढ़ाई गई है और इश्यूड कैपिटल 25 लाख और एक करोड के दरम्यान रखी गई है । यह एक स्वागतयोग्य कदम है । इससे ग्रामीण बैंको की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मदद हो जाएगी । आर आर बीज का विकास पूरे देश मे एक जैसा नही हुआ है । बहुत से रीजनल इम्बैलेंस है । नार्थ ईस्टर्न रीजन में 6 प्रतिशत आर०आर०बीज० और 3 प्रतिशत उसकी ब्रांचेज है पूरे देश में मकाबले में यह ब्रांचेज है तो अगले पांच से दस सालो तक नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । सिर्फ ज्यादा आर आर बीज गठित करके और ज्यादा

शाखाएं खोलकर के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का हल नही होगा इन बैंकों में जो काम करते हैं उन कर्मचारियों पर उसकी सफलता निर्भर है। उन्हे काम करना है एक बड़े असंगठित समुदाय के लिए गरीब अनपढ़ किसानो के लिए मजदूरो के लिए छोटे छोटे उद्योग-धन्धे करने वाले लोगों के लिए इसके लिए जरूरी है कि बैंक कर्मचारी उनकी समस्याओं को समझे उनके इलाके का उनको पूरा ज्ञान हो उस इलाके की आवश्यकताओं की मालुमात हो इसके लिए उन्हें एक खास दृष्टि चाहिये यह दृष्टि आएगी ट्रेनिंग से। ग्रामीण क्षेत्रो मे काम करने वाले हर कर्मचारी को ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत है लेकिन आज भी सब स्तरों पर सब कर्मचारियो को ट्रेनिंग नही हो रही है उनको ट्रेनिंग नही मिल रही है। करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कर्मचारियो मे बढ़ती हुई अनुशासनहीनता चिन्ता की बात है। उनमें इंस्टीट्यूशनल मोटीवेशन को विकसित करने की जरुरत है। बैंक कितने समाजोपयोगी हो सकते है वह समाजोपयोगी काम कर सकते है यह स्पष्ट रूप से उनके सामने रखने की आज आवश्यकता है। बैंको मे जो व्यवहार होते है उनमें से एक के लिए समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिये और उसका पालन सख्ती से होना चाहिये और यह टाइम शेड्यूल्ड कर हर ब्राच मे लोगों के अवलोकनार्थ रखना चाहिये। जैसे हम कर्मचारियों से बेहतर सेवा चाहते है वैसे कर्मचारी भी कुछ चाहते हैं। ग्रामीण बैंको के कर्मचारियो को कमर्शियल बैंको के कर्मचारियो के समान वेतन नही मिलता है। यह अन्याय है क्योकि जो काम कमर्शियल बैंक्स के कर्मचारी करते हैं वही काम ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी भी करते हैं। बल्कि मै तो यह कहूगी कि ग्रामीण बैंको में काम करना ग्रामीण इलाकों मे काम करना ज्यादा कठिन है। इसलिए मैं चाहती हू कि उन्हे समान वेतन मिलना ही चाहिये यह बड़ी आवश्यक बात है। बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज की पुनः रचना भी बिल में की गई है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हू कि उसमे कर्मचारियो का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। वैसे ही दो नान-आफिशियल डायरेक्टर्ज है उसमे किसानों का प्रतिनिधि होना चाहिये। बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज में कम से कम एक महिला होनी ही चाहिये। जबकि उसमें महिला होगी तो काम ज्यादा अच्छी तरह से सुगठित पद्धति से होगा। इसलिए बोर्ड आफ डायरेक्टर्स मे किसानों, कर्मचारियों और महिलाओ के प्रतिनिधि आवश्यक हैं। इतना कहकर मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

[उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए] श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश): जनाब वाइस चेयरमैन साहब हम सब जानते है कि हिन्दुस्तान देहात में रहता है और हुकूमत भी यह अच्छी तरह से जानती है कि हिंदुस्तान देहात मे रहता है। हिंदुस्तान की 70 करोड़ आबादी मे से 52 करोड लोग देहात मे रहते है चुनांचे इन्हीं बातों को पेशेनजर रखते हुए 1969 में बैंको का नेशनलाइजेशन किया गया था और यह जो बैंको का नेशनलाइजेशन किया गया था, यह-यह समझकर किया गया था कि आम आदमी को इससे फायदा होगा। उससे पहले देखा यह गया था कि जो बैंको की सूरतेहाल थी उसमें सिर्फ बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिट्स सनतकार और बड़े बड़े सरमायेदार ही फायदा उठाते थे इस वजह से यह समझा गया कि बैंकों को नेशनलाइज करने के बाद आम आदमी भी इनसे पूरा पूरा फायदा उठायेगा। मगर मुझे इंतिहाई अफसोस के साथ यह कहना पडता है कि पालिसीज के गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से बैंक नेशनलाइजेशन से जो फायदा होना चाहिए था उस किस्म का फायदा इस वक्त देश में नही हो रहा है, चुनाचे इन्ही बातो को पेशेनजर रखते हुए गवर्नमेंट सन् 1976 ई० मे रीजनल रूरल बैंक एक्ट लेकर आई। इसका मकसद यही था कि देहात मे रहने वाली आबादी को ऊपर उठाया जाये। जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते है, देहात मे जो लोग रहते है उनमे से तकरीबन 80 फीसदी लोगों का पेशा जरात है। इसके अलावा बढ़ई है लोहार हैं तथा और भी दूसरे पेशे अंजाम देने वाले लोग हैं जो देहात मे रहते है। ये लोग अपनी मेहनत की कमाई से जो फरोख करते है बाजार मे बेचने है तो इंतिहाई सस्ते दामो पर उसको बेचते हैं। फिर कोई चीज जब खरीदते है तो उसके लिए उनको काफ

[श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान]

महंगे दाम अदा करने पड़ते है । जब वे कर्जा हासिल करना चाहते है तो पहले सूरतेहाल यह थी कि खानगी लोगों से, जो काफी बड़े सूद पर पैसा देते थे, उनको पैसा हासिल करना पड़ता था और असल से ज्यादा उनको सूद अदा करना पड़ता था। इस तरह से उनके उत्पादन का जो कुछ भी कीमती सरमाया होता था वह सिर्फ सूद मे ही खत्म हो जाया करता था। इसलिए इन चीजो को पेशेनजर रखते हुए रीजनल रूरल बैंक एक्ट लाया गया था इसका मकसद यह था कि गरीब किसान और देहात में रहने वाले गरीब लोग खानगी सूद पर पैसा देने वालों के चंगुल से बचें और इंतिहाई आसान शरा सूद पर बैंको से पैसे हासिल करे और अपने पेशे मे खाह वो जरात हो या कोई और पेशा हो उसमे उसको लगायें तथा अपने पेशे मे तरक्की करें। असल इसका मकसद यही था। मगर तकरीबन दस साल गुजरने के बाद भी यह देखा गया है कि रीजनल रूरल बैंक से वक्तन इस कदर फायदा हासिल नही हुआ है जितना कि हासिल होना चाहिए था। इसी बात को पेशेनजर रखते हुए हमारी पार्टी के यहा राज्य सभा में जो लीडर श्री उपेन्द्र साहब हैं उन्होने गुजिश्ता सेशन मे यानी 24 अगस्त 1987 ई० का एक स्पेशल सेशन पेश किया था और उसमे यह था कि रीजनल रूरल बैंक जो है उसपर काफी गौर करना चाहिए और काफी मेनेजमेंट लाने चाहिएं ताकि जिन एम्स एंड आबजेक्ट्स के लिए यह रीजनल रूरल बैंक कायम किये गये है उनके एम्स एंड आबजेक्ट्स पूरे हों।

मुझे खुशी हो रही है कि इस ऐवान में यानि इस सेशन में यह अमेंडमेंट के लिए लाया गया है। खुशी की बात है और मैं इस पूरे बिल की ताईद करता हूं मगर स थ ही साथ मैं यहां कुछ सजेशस मोअज्जिज़ मिनिस्टर साहब की खिदमत में देना चाहता हूं।

वह यह है कि जो कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है खवा वह कमर्शियल बैंक की हों, खवा वह रूरल बैंक की हों कई लोग देहात मे इससे वाकिफ नही हैं, जैसा कि अभी हमारी मोअज्जिज़ मेम्बर सहिबा ने कहा कि इसकी बराबर पब्लिसिटी नहीं हो रही है। हमको पब्लिसीटी के लिए काफी गौर करना चाहिए और इसकी अच्छी पब्लिसिटी करनी चाहिए और आवाम को यह मालूम होना चाहिए कि रीजनल रूरल बैंक किस वजह से कायम किये गये है इसका मकसद क्या है किस तरह से वह अवाम की मदद करते है।

इन बातों को आवाम को मालूम करवाना चाहिए ताकि गरीब किसान जो तकरीबन सभी पढ़े-लिखे नही होते उनको मालूम हो सके और वह बैंक से ज्यादा से ज्यादा इस्तफादा हासिल कर सके।

दूसरी बात यह है कि इस बैंक के फाइनेंसेज़ बढ़ाने के लिए उसके शेयरहोल्डर्स जो हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक और नेबार्ड को अपना मुसबत रोल अदा करना चाहिए और इस अंदाज में इसके शेयरहोल्डार्ज़ को काम करना चाहिए कि वह यह समझे कि हमको देहात मे रहने वाले आवाम को उठाना है, उनके हालाते-जिंदगी को बेहतर बनाना है, इस मकसद को सामने रखते हुए, यह नहीं कि फायदा कमाने की नीयत से, नही, मगर खिदमत के ज़ज्बे को सामने रखते हुए पूरे शेयरहोल्डर्ज़ को अपना रोल अदा करना पडेगा।

अभी जो बात यहां आई—यहां के डाइरेक्टर्ज के नामिनेशन की, उसमें यह कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसे दो नान-आफिशल डाइरेक्टर्ज़ को नामिनेट करने का हक दिया गया है।

मै पूछना चाहता हूं कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दो नान-आफिशल डाइरेक्टर्ज़ आमजद करने का हक नही दिया जाए? मेरी यह दर्खास्त है मोअज्जिज़ मिनिस्टर साहब से कि स्टेट गवर्नमेंट को भी यह हक दिया जाए कि दो गैर-सरकारी डाइरेक्टर्ज़ को नामिनेट करें।

इसके अलावा अभी जैसा कि कहा गया कि लोकल बाडीज़ का भी एक रेप्रेजेंटेशन

उसमें होना चाहिए और जिला परिषद् का हो, या पंचायत मंडल का हो, या ग्राम पंचायतों का हो, कुछ भी हो, यकीनन लोकल बाडीज का भी, नुमाइंदा उसमें होना चाहिए।

फिर साथ ही साथ जैसा कि मेरी बहिन अभी कह रही थी कि लेडीज की भी एक नुमाइंदगी बेहद जरूरी है और मेरी ख्वाहिश है कि हमारे मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे। (समय की घंटी) मैं अभी दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं।

अब आप मुलाजमीन की हालात-जिंदगी, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि रीजनल रूरल बैंक में जो मुलाजमीन काम करते है, यह मुलाजमीन किन हालात में देहातों में जाकर काम करते है। शहर में काम करना या कस्बे में काम करना एक बात है। मगर गांव में जाकर इन मुलाजमीन का काम करना वाकयतन बडी हिम्मत की बात है इस वजह से हमको भी उनकी पूरी हिम्मत अफजाही करनी चाहिए। उनके बच्चों के लिए तालीम का खास इंतजाम नहीं होता, उनके लिए तिब्बी इमदाद की कोई सहूलियत नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि उनकी तनख्वाहें भी, जो दूसरे कमर्शियल बैंक की तनख्वाहें है, उनके बराबर करनी चाहिएं। जब एक ही किस्म का काम वह करते हैं कामर्शियल बैंक के लोग और वही किस्म का काम दूसरे लोग करते है तो इनकी तनख्वाह में फर्क क्यों। इनकी तनख्वाह कम क्यों है और उनकी तनख्वाह ज्यादा क्यों है। मै अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। हमारे जिले में रूरल बैंक में काम करने वाले लोगों के पे-स्केल कुछ हैं और दूसरे जिले में काम करने वाले लोगों के पे-स्केल कुछ और है। मै यह कहना चाहता हूं कि इनके पे-स्केल में यूनिफार्मिटी हो। तनख्वाहे बराबर मिले। जो कामर्शियल बैंक के एम्पलाइज की तनख्वाह है वही दूसरों को मिलनी चाहिए।

अगली बात में यह अर्ज करना चाहता हूं कि एम्पलाइज की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी बैंक मे 44 हजार लोग काम कर रहे है उनमें से सिर्फ 29 हजार मुलाजमीन को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यह जरूरी है कि जिस मकसद के लिए जिस काज के लिए बैंक में काम कर रहे है उसके तहत जरूरी है उनको परोपर ट्रेनिंग दी जाये। जब तक परोपर ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती है उस वक्त तक उनका मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। इन्हीं चन्द अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रियादा करता हूं।

†[شری محمد خلیل الرحمان

(آندھرا پردیش) : جناب وائس چیرمین صاحب - ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان دیہات میں رہتا ہے اور حکومت بھی یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ہندوستان دیہات میں رہتا ہے - ہندوستان کی ستر کروڑ آبادی میں سے باون کروڑ لوگ دیہات میں رہتے ہیں - چنانچہ انہیں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ۱۹۶۹ میں بینکوں کو نیشنلائز کیا گیا تھا - اور یہ جو بینکوں کا نیشنلائزیشن کیا گیا تھا کہ عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا - اس سے پہلے دیکھا یہ گیا تھا کہ جو بینکوں کی صورتحال تھی اسمیں صرف بڑے بڑے انڈسٹیریلسٹ صنعتکار اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہی فائدہ اٹھاتے تھے - اس وجہ سے یہ سمجھا گیا تھا کہ بینکوں کو نیشنلائز کرنے کے بعد عام آدمی بھی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیگا - مگر مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا

†[ ] Translation in Arabic script.

سرمایہ ہوتا تھا وہ صرف سود میں ختم ہو جایا کرتا تھا - اسلئے ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے "ریجنل رورل بینک ایکٹ" لایا گیا تھا - اسکا مقصد یہ تھا کہ غریب کسان اور دیہات میں رہنے والے غریب لوگ خانگی سود پر پیسہ دینے والوں کے چنگل سے بچیں اور انتہائی آسان شرح سود پر بینکوں سے پیسے حاصل کریں اور اپنے پیشے خواہ وہ زراعت ہو یا کوئی اور پیشہ ہو اسمیں اسکو لگائیں - اور اپنے پیشے میں ترقی کریں - اصل اسکا مقصد یہی تھا - مگر تقریباً دس سال گزرنے کے بعد بھی دیکھا گیا ہے کہ ریجنل رورل بینک" سے واقعتاً اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے جتنا کہ حاصل ہونا چاہئے تھا - اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری پارٹی کے یہاں واجیہ سبھا میں جو لیڈر شپ اپیلنٹ صاحب ہیں - انہوں نے گزشتہ سیشن میں یعنی ۲۴ اگست ۱۹۸۷ء کو ایک اسپیشل میلشن کیا تھا - اور اسمیں یہ تھا کہ ریجنل رورل بینک جو ہیں - اس پر کافی غور کرنا چاہئے تھا اور کافی میلجملنے نے چاہئے تاکہ جن ایمس اینڈ آبجیکشن کے لئے یہ ریجنل رورل بینک قائم کئے گئے ہیں - انکے ایمس اینڈ آبجیکٹس پورے ہوں -"

[شری محمد خلیل الرحمان]

ہے کہ پالیسیز کے غلط امپلیمنٹیشن کی وجہ سے بینک نیشنلائزیشن سے جو فائدہ ہونا چاہئے تھا اس قسم کا فائدہ اس وقت دیش میں نہیں ہو رہا ہے - چنانچہ انہیں باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ سنہ ۱۹۷۶ء میں "ریجنل رورل بینک ایکٹ لیکر آئی - اسکا مقصد یہی تھا کہ دیہات میں رہنے والی آبادی کو اوپر اٹھایا جائے - جیسا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں انمیں سے تقریباً ۸۰ فیصدی لوگوں کا پیشہ زراعت ہے - اسکے علاوہ بڑھئی ہیں - لوہار ہیں - اور بھی دوسرے پیشے انجام دینے والے لوگ ہیں جو دیہات میں رہتے ہیں - یہ لوگ اپنی محنت کی کمائی سے جو فروخت کرتے ہیں - بازار میں بیچتے ہیں - تو انتہائی سستے داموں پر اسکو بیچتے ہیں - پھر کوئی چیز جب وہ خریدتے ہیں تو اسکے لئے انکو کافی مہنگے دام ادا کرنے پڑتے ہیں - جب وہ قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں - تو پہلے صورتحال یہ تھی کہ خانگی لوگوں سے - جو کافی سود پر پیسہ دیتے تھے - انکو پیسہ حاصل کرنا پڑتا تھا اور اصل سے زیادہ انکو سود ادا کرنا پڑتا تھا اس طرح سے انکے اتپادن کا جو کچھ بھی قیمتی

شہر ہولڈرز جو ہیں - یعنی سینٹرل گورنمنٹ - اسٹیٹ گورنمنٹ - کمرشیل بینک اور نابارڈ کو اپنا مثبت رول ادا کرنا چاہئے اور اس انداز میں اسکے شیر ہولڈرز کا کام کرنا چاہئے- کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمکو دیہات میں رہنے والے عوام کو اٹھانا ہے انکے حالات زندگی کو بہتر بنانا ہے - اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے - یہ نہیں کہ فائدہ کمانے کی نیت سے - بلکہ خدمت کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے - پورے شیئر ہولڈرز کو اپنا رول ادا کرنا پڑیگا -

ابھی جو بات یہاں آئی یہاں کے ڈائریکٹرز کے نامینیشن کی - اسمیں یہ کہا گیا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے- اسے دو نان آفیشیل ڈائریکٹرز کو نامینیٹ کرنے کا حق دیا گیا ہے -

میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں اسٹیٹ گورنمنٹس کو بھی ودنان آفیشیل ڈائرکٹرز نامزد کرنے کا حق نہیں دیا جائے - میری یہ درخواست ہے معزز منسٹر صاحب سے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی یہ حق دیا جائے کہ دو غیر سرکاری ڈائریکٹرز کو نامینیٹ کریں -

اسکے علاوہ ابھی جیسا کہ کہا گیا کہ لوکل باڈیز کا بھی ایک پیرزینٹیشن اسمیں ہونا چاہئے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے - کہ اس ایوان میں یعنی اس سیشن میں یہ امنڈمنٹ کیلئے لایا گیا ہے - خوشی کی بات ہے اور میں اس پورے بل کی تائید کرتا ہوں مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہاں کچھ سجیشنس معزز منسٹر صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں -

وہ یہ ہے کہ جو کچھ گورنمنٹ کی فیسی الیز ہیں - خواہ وہ کمرشیل بینک کی ہوں - خواہ وہ رورل بینک کی ہوں - کئی لوگ دیہات میں اس سے واقف نہیں ہیں کہ ابھی ہماری معزز ممبر صاحبہ نے کہا کہ اسکو برابر پبلسٹی نہیں ہو رہی ہے - ہمکو پبلسٹی کیلئے کافی غور کرنا چاہئے - اور اچھی پبلسٹی کرنا چاہئے- اور عوام کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ریجنل رورل بینک کس وجہ سے قائم کئے گئے ہیں اسکا مقصد کیا ہے - کس طرح سے وہ عوام کی مدد کرتے ہیں-

ان باتوں کو عوام کو معلوم کروانا چاہئے - تاکہ غریب کسان جو تقریباً سبھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے - انکو معلوم ہو سکے اور وہ بینک سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں -

دوسری بات یہ ہے کہ اس بینک کے فائنینسز بڑھانے کیلئے سکے

کمرشیل بینک کی تنخواہیں ہیں۔ انکے برابر کرنی چاہئے - جب ایک ہی قسم کا کام وہ کرتے ہیں کمرشیل بینک کے لوگ اور وہی قسم کا کام دوسرے لوگ کرتے ہیں تو انکی تنخواہ میں فرق کیوں - انکی تنخواہ کم کیوں ہے - اور انکی تنخواہ زیادہ کیوں ہے - میں اپنے واجبہ آندھرا پردیش کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا - ہمارے ضلع میں رورل بینک میں کام کرنے والے لوگوں کے لئے اسکیل کچھ اور ہیں اور دوسرے ضلع میں کام کرنے کے لوگوں کے لئے اسکیل کچھ اور ہیں - میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انکے لئے اسکیل میں یونیفارمٹی ہو - تنخواہیں برابر ملے - جو کمرشیل بینک کے امپلائز کی تنخواہیں ہیں وہی دوسروں کو ملنی چاہئے -

اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امپلائز کو ٹریننگ دی جاتی ہے - ابھی بینک میں ۴۴ ہزار لوگ کام کر رہے ہیں انمیں سے ۲۹ ہزار ملازمین کو ٹریننگ دی جا چکی ہے - یہ ضروری ہے کہ جس مقصد کیلئے جس کاز کیلئے بینک میں کام کر رہے ہیں اسکے تحت ضروری ہے انکو برابر ٹریننگ دی جائے - جب تک برابر ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے اس وقت انکا

[شری محمد خلیل الرحمان]

ضلع پریشد کا ہو - یا پنچایت سمتی کا ہو - یا گرام پنچایتوں کا ہو - کچھ بھی ہو - یقیناً لوکل بوڈیز کا بھی نمائندہ اسمیں ہونا چاہئے -

پھر ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میری بہن ابھی کہہ رہی تھیں کہ

لیڈیز کی بھی ایک نمائندگی بیحد ضروری ہے اور مجھے توقع ہے کہ ہمارے منسٹر صاحب اس پر غور کریں گے (سٹے کی گھنٹی) میں ابھی دو منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں -

اب آپ ملازمین کی حالات زندگی - جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ریجنل رورل بینک جو ملازمین کام کرتے ہیں - یہ ملازمین کن حالات میں دیہاتوں میں جاکر کام کرتے ہیں - شہر میں کام کرنا یا قصبہ میں کام کرنا ایک بات ہے - مگر گاؤں میں جاکر ان ملازمین کا کام کرنا واقعتاً بڑی ہمت کی بات ہے - اس وجہ سے ہمکو بھی انکی پوری ہمت افزائی کرنی چاہئے - ان کے بچوں کیلئے تعلیم خاص انتظام نہیں ہوتا - انکے لئے طبعی امداد کی کوئی سہولیت نہیں ہوتی اسلئے یہ ضروری ہے کہ انکی تنخواہیں بھی جو دوسرے

مقصد پورا نہیں ہو سکے گا - انہی چند الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں -]

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात आदरणीय दिवंगत नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दो के साथ प्रारम्भ करता हूं। उन्होंने कहा था "हमारी विशाल और विविधतापूर्ण जनता के किसी भी भाग को यह महसूस नही होना चाहिए कि उसे भुला दिया गया है। उनकी उपेक्षा से हम सब का नुकसान होगा।" 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्र के नाम प्रसारित सन्देश में देशवासियो से अपील की थी कि वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सामाजिक व लोकतंत्रीय प्रयोग को सफल बनाने मे सहयोग करें और उन्होने कहा था।

"हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारी गरीब जनता की भलाई और उसकी उन्नति है। हर समय हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनका जीवन जल्दी से जल्दी सुखद हो"।

अब जब हम इंदिरा जी की आवाज नही सुन सकते, वह हमारे बीच में नही है लेकिन उनके शब्द सदा हमारे साथ रहेंगे, हमारे कानो मे गूजते रहेंगे।

बैंको के राष्ट्रीयकरण की इस मजबूत बुनियाद पर 1976 में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई और अपने उद्देश्यो मे लगातार सफलता प्राप्त करते हुए आज हम अपने अनुभवों के आधार पर तथा गरीब किसानो, मजदूरो को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए यह संशोधन बिल पारित करने जा रहे हैं।

इसी को ध्यान मे रखते हुए 1975 के प्रारम्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने की नरसिम्हा ग्रुप ने सिफारिश की थी। इसकी स्थापना से पूर्व यह अनुभव किया गया कि वाणिज्य बैंक, ग्रामीण क्षेत्र की जनता की आवश्यकतानुसार ऋण एवं अन्य बैंकिंग सुविधाएं नहीं प्रदान कर सकते। चूंकि राष्ट्रीयकरण के लगभग 7 वर्ष पश्चात् भी वाणिज्य बैंकों ने अपनी शहरी पहुंच को ही ध्यान में रखा एवं वे ग्रामीण की आकांक्षाओं के अनुरूप नही थे। उनका कार्य करने का ढंग एवं वे सोचने का ढंग भी पूर्ण रूप से शहरी थे।

इसके साथ यह भी अनुभव किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना से क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान सरलता से हो सकेगा एवं कमजोर वर्गों और ग्रामीण जनता को सरलतापूर्वक कम ब्याज पर आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी इसकी स्थापना के पीछे एक यह भी उद्देश्य था कि ग्रामीण ऋण की कीमत भी कम हो, खर्च भी कम हो सके।

आज देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अनेक शाखाओ के माध्यम से ग्रामीण भारत मे विकास और समृद्धि का ताना-बाना बुना जा रहा है। गाव की भोली भाली जनता को साहूकार की गुलामी से इन प्रयासो से बचाया है।

आदरणीय मंत्री श्री जनार्दन पुजारी ने बताया कि 23 राज्यो मे 357 जिलों मे 196 बैंक है और 13,000 बैंक शाखाएं है। उनमे 1763 करोड़ रुपये धन की व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार 1846 के ऋण प्रदान किये जा चुके है। इस संशोधन के द्वारा बैंक के संगठन को आवश्यकतानुसार एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। मुख्य अधिनियम की धारा 6(1) प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ट्रेनिंग, स्टाफ, रखरखाव व अन्य खर्चे आदि के लिए जारी 25 लाख से 1 करोड़ के निर्धारित पूजी-निवेश की जगह एक करोड़ से पाच करोड़ रखना, प्रायोजक बैंक से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करना एवं प्रबंधकीय व वित्तीय सहायता प्रदान करने से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का एक नया स्वरूप सामने उभर कर आएगा। क्रम सख्या 8 पर धारा-11 की मुख्य अधिनियम मे उपधारा 1-ए

[श्री सुरेश पचौरी]

पर प्रावधान "केन्द्र सरकार" के स्थान पर "आंग्रणी बैंक" रखने की बजाय मैं अनुरोध करूंगा कि यह अधिकार केवल "केन्द्र सरकार" मे ही निहित होना चाहिए, जैसा पूर्व से है । अत: अध्यक्ष की नियुक्ति केवल केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए । ऐसा मै मानता हूं । जहां तक प्रतिनिधियों का प्रश्न है, बोर्ड आफ डायरेक्टरस का प्रश्न है, तो निस्संदेह मै भी इसी बात से सहमत हू कि बोर्ड आफ डायरेक्टरस का चयन करते समय ग्रामीण अचल के प्रतिनिधियों को इसमें लिया जाना चाहिए । चूकि बहुत कुछ समस्याएं नौजवानो को फेस करना होती है, बेरोजगारों को ऋण दिलाने के लिए बैंक के दरवाजे पर दस्तक देनी होती है । अत: मेरा अनुरोध है कि जब बोर्ड आफ डायरेक्टरस का आप चयन करने जायं तो उसमें प्राथमिकता नौजवानों को भी दें ।

महोदय, बैंक किसी विचार विशेष के लिए नही है बस्कि वे बिना किसी भेदभाव के सबको आर्थिक सहायता के लिए होते है । यदि किसी स्थान विशेष पर लोन मेला आदि का आयोजन होता है तब उसका लाभ सबको होता है, विशेष रूप से जो कि गरीबी रेखा से नीचे है और किसी विचारधारा के भी हैं । उसमे जो चयन होता है वह गुप्त मतदान से होता है, इसलिए यह व्यवस्था जो लाग की गई है वह भी एक सराहनीय कदम है ।

महोदय ग्रामीण विकास के बिना हम देश की अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्ण सुधार नही ला सकते और इसी महत्वपूर्ण सकल्प में जब हम आम आदमी के जीवन मे खुशहाली लाने उसे गरीबी रेखा स ऊपर उठाने के प्रयासों को समन्वित विकास कार्यक्रम एन०आर०ई०पी०, आई०आर०डी०पी०, लीड बैंक आदि द्वारा पूरा करने की योजना बनाने है, ठीक उसी कदम पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी एक अहम भूमिका होती है जो छोटे सीमांत कृषक और अन्य हस्त कलाकारो को ऋण सुविधा प्रदान कर उन्हे आत्मनिर्भर बना रही है । मान्यवर जहां तक ऋण प्राप्त करने का प्रश्न है हमने आशातीत सफलता प्राप्त की है, परन्तु जब ऋण वापिस करने की बात शुरू होती है तो बड़े निराशाजनक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं । बैंकों से ऋण प्राप्त करने वालो की मानसिकता ऋण वापिस करने की दिशा में लगभग वापिस न करने की होती है । अगर ऋण लेकर हमने वापिस नही पहुचाया तो अन्य लोगों को हम किस प्रकार यह सुविधा प्रदान कर सकेंगे । बडे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दिनों पहले एक राज्य में चुनाव हुये और चुनाव के दौरान यह नारा दिया गया - "तुम कर्ज लेकर घर में बैठो, मैं उसे पूरा माफ कर दूगा ।" आज कर्जे की इस राजनीति ने समूचे परिवश के सामने एक प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया है । यह हमारे राष्ट्रीय त बैंकों के लिये खतरे का घंटी है । आज कुछ अन्य प्रदेशों में भी यह एक अर हम बैंकों के माध्यम से स्व-रोजगार की कई योजनाये चला रहे हैं, ऋण मेलो का आयोजन कर छोटे-छोटे किसानों, मजदूरों, खेतिहरों आदि को लघु उद्योगों में लगाकर एक नई शुरूआत कर रहे है, वहीं ये विरोधी दल वाले प्रचारित कर रहे है- "ये कर्जे देंग, तुम इनसे कर्जे ले लो, हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे ।" . **(व्यवधान)**

श्री बीरेन्द्र वर्मा : (उत्तर प्रदेश) अमीरों का ही माफ होता रहे, उद्योगपतियों का होता रहे, मगर किसानों का हुआ तो **(व्यवधान)**

श्री सुरेश पचौरी : आने वाला समय इस हल्की लोकप्रियता के लिये उन्हे कभी माफ नही करेगा । कर्ज लेने के साथ यदि हम समय पर कर्ज वापिस करने की मानसिकता नही बना पाये तो मेरा ऐसा विचार है कि हमारी योजनाओ का ढाचा एकदम लड़खडा जायगा । विकास की अवधारणा समाप्त हो जायेगी । बैंको की सारी मशीनरी यदि पैसा वापिस कराने पर केन्द्रित हो गई तो बैंकिंग के मूल उद्देश्य को जनता तक पहुंचायेगा कौन ? इस बात पर सहज ही

विचार किया जा सकता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि केन्द्र इस मामले में सीधे कोई कानून बनाये ताकि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को किसी प्रकार का मौका न मिल सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य गरीब किसानों को आर्थिक सुविधा उपलब्ध करा कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का है। सीमान्त किसान भूमिहीन किसान बटवारा कृषक, हथकरघा कारीगर, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लाभार्थियों को अलग-अलग वर्गीकृत कर ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। गांव के इन्हीं छोटे लोगों के रूप में हमारे देश की अधिकांश जनता अपना जीवन निर्वाह कर रही है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने उनके जीवन में एक नई सुबह की शुरूआत की है। उप-सभाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मेरा यह सुझाव है कि यह देखा गया है कि बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों का आम जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। इस प्रकार की कई शिकायतें मिलती है। हम आर०आर०बी० बैंकों को प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता देने जा रहे है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान है। मान्यवर, उन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये जिससे वे ग्रामीण जनता की कठिनाइयों को अच्छे ढंग से समझ सकें और उनके मार्गदर्शक बन सकें।

मान्यवर, बैंकों में भ्रष्टाचार बहुत बढ गया है। गरीबों को दिये जाने वाले कर्ज में से कुछ शेअर बैंक कर्मचारी ले लेते है। साथ ही ऋण देने में भी काफी देरी करते है। मान्यवर, यदि जरूरतमंदों को समय पर ऋण नहीं मिलेगा तो जिस उद्देश्य से बैंक की स्थापना की गयी है वह उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इसलिये समय रहते इन समस्याओं के निराकरण के लिये ठोस उपाय ढूंढने बहुत जरूरी है। मान्यवर, बैंक अधिकारियों और व्यापारियों की मिली भगत से बैंकों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। ऐसा मेरा विचार है। लोगों को एक खास आदमी की दुकान से सामान लेने के लिये बाध्य किया जाता है। और कर्ज लेने वाला इस बात के लिये तैयार हो जाता है। इसलिये इस बात को भी चेक करना जरूरी है क्योंकि इस अवधारणा से डुप्लीकेट माल में बहुत बढ़ोतरी हुई है। सरकारी बैंकों के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि उनमें भी काफी भ्रष्टाचार है। उनमें भी भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें मिल रही है। मान्यवर, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, इसलिये मध्य प्रदेश के सहकारी बैंकों के बारे में स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वहां कार्य प्रणाली और दूसरी तरह की अनेकानेक शिकायतें मिली है। आज गरीबों को बैंक सुविधा की पूरी जानकारी नहीं है। हमारे प्रचार-प्रसार के साधनों-रेडियो, दूरदर्शन द्वारा इस बात की बताया जाना बहुत जरूरी है कि बैंकों द्वारा आम जनता की भलाई को मद्दे नजर रखते हुये उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिये कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की जा रही है। इन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे है। इस बात की जानकारी आम जनता तक पहुचना बहुत जरूरी है।

मान्यवर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की सेवा स्थिति में सुधार लाना भी जरूरी है। उन्हें समय-समय पर उचित शिक्षा देना भी जरूरी है। ऋण के भुगतान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूरा सहयोग प्रदान करना भी बहुत जरूरी है। मान्यवर हमारे वित्त राज्य मंत्री पुजारी जी एक सुयोग्य और कर्मठ मंत्री है। उनके मन में गरीब तबके लोगों के लिये तड़फ है। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री पुजारी जी के निर्देशन में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जो यह बिल प्रस्तुत किया जा रहा है उसके संतोषजनक और आशाजनक परिणाम निकलेंगे। मान्यवर मेरा एक सुझाव यह भी है कि वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों की जो शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में है उन्हें भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सौंप दिया जाय ताकि अनावश्यक कार्य न हो। साथ ही समय-समय पर स्पोंसर्ड बैंकों के खातों का निरीक्षण एवं उनके कार्यों का अवलोकन करना भी आवश्यक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लगातार निरीक्षण एवं सही नियंत्रण से लाभांश में भी वृद्धि होगी और हम अपने उद्देश्य में भी सफल हो सकेंगे। ऐसा मेरा विचार है और ऐसी मेरी मान्यता है।

[श्री सुरेश पचौरी]

इन्ही भावनाओ के साथ मैं सदन में प्रस्तुत रीजनल रूरल बैंक एमेंडमेंट बिल 1987 का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) महोदय यह रीजनल रूरल बैंक 1976 मे स्थापित हुये थे । इस बिल के अन्दर यह सतोष की बात है कि इसमें बैंक की पूजी बढाने प्रबध मे सुधार करने और बैंको के एमलगमेशन का प्रबंध इसमे किया गया है । यह अच्छे कदम है लेकिन देखने को यह मिलता है कि 1976 के बाद बैंको की स्थापना के बाद यद्यपि बैंको का विस्तार हुआ है, उन का कवरेज बढा है, जमा राशि भी बढी है, अग्रिम राशि भी काफी मात्रा मे गरीबो को दी गयी है, लेकिन बैंको को जितनी तरक्की करनी चाहिये, जितनी सफलता उनको मिलनी चाहिये उतनी सफलता इन रीजनल रूरल बैंको को नही मिली है । यह बैंक इसलिये स्थापित किये गये थे ताकि गावो मे जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो किसान है, जो शिल्पी है, जो गृह उद्योग मे लगे है उनको अधिक से अधिक सहायता इन बैंको के द्वारा मिले । यह पाया गया था 1976 के दरम्यान कि पहले जो सहकारी समितिया थीं उन पर धनिक किसानो का कब्जा हो गया है और राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वे आम तौर पर गांवों मे सिर्फ डिपाजिट करते है और रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य है कि जमा राशि का 60 परसेंट वह गावो मे इवेस्ट करेगे वह उसमे विफल रहे है । इसलिये इस प्रकार के बैंको की स्थापना की बात उस समय सोची गयी थी । अब 12 वर्ष के बाद हम क्या पाते है । हम पाते यह है कि अभी भी यह बैंक जो 163 या 183 रीजनल बैंक स्थापित हुये है उनका कवरेज यदि हम देखें तो पाते है कि 88 बैंक एक जिले को कवर करते है, 67 बैंक दो जिलो को कवर करते है और 22 बैंक 3 जिलो को कवर करते है और 5 बैंक चार जिलो को कवर करते है । अभी पूरे देश मे 357 जिलो मे ही यह बैंक है जब कि देश मे 436 जिले है । लिये काफी ऐसे जिले है जिनमे यह बैंक अभी तक स्थापित नहीं हुये है ।

दूसरी बात इस संबध मे मै यह कहना चाहता हूं कि यह बैंक इस लिये स्थापित हुये थे कि गांवों मे गरीबो को कर्ज दिया जायेगा और जो गांव के सूदखोर महाजन है जिनके चंगुल मे गाव के किसान है उनके खूनी पंजे से उन गरीबो को मुक्त किया जायेगा । हम को देखना यह है कि इस लक्ष्य की पूर्ति मे यह बैंक कहा तक सफल हुये है । अभी रिजर्व बैंक आफ इडिया ने एक रैडम सैंपुल सर्वे कराया था 1982 मे और उस की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है और वह मत्री महोदय के पास होगी । उस रिपोर्ट मे हम पायेगे कि गावो के अन्दर इस्टीट्यूशनल कर्ज 63 प्रतिशत है और नान-इंस्टीट्यूशनल कर्ज 37 परसेंट है । इस का सब से दुखद पहलू यह है कि 5000 से एक लाख तक कर्ज की सीमा रखने वाले जो लोग है जो मुख्यत आदिवासी है, मुख्यतः हरिजन है वह 91 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक कर्ज उन्ही नान-इस्टीट्यूशनल संस्थाओ से पाते हैं यानी सूदखोरो के चगुल मे उनको मुक्त कराया जाए । लेकिन लगता यह है कि 12 वर्ष की उनकी कार्यावधि के दौरान अभी तक यह बैंक उन लोगो को सूदखोर महाजनों के चगुल से मुक्त नही करा सके है ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हू कि इस देश के अन्दर आदिवासियो के 199 जिले है, लेकिन अभी तक केवल 92 जिलो मे ये रूरल रीजनल बैंक स्थापित हो पाये है । नार्थ ईस्टर्न रीजन मे इनकी संख्या बहुत ही नगण्य है । इन बैंको मे अभी तक केवल 62 लाख लोगो को ही कर्ज मिल पाया है । यह इस बात को इगित करता है कि रीजनल बैंको का जो उद्देश्य था उस की पूर्ति मे ये अभी तक सफल नही हो पाये है । मैं इस संबध मे सरकार से कहना चाहूगा कि सरकार अगर चाहती है कि गावो में सूदखोरो से, महाजनो से कमजोर वर्ग, हरिजन, छोटे छोटे किसान, आदिवासी, सीमान्तक किसान, शिल्पी और छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले जो लोग है, उन को बचाना चाहती है, तो जरूरत इस बात की है कि रीजनल बैंको की जो शाखाये है उनका विस्तार किया जाये । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह सुझाव दिया है कि कर्मशल

एक 17 हजार की जनसंख्या पर खोला जाना चाहिये । क्यो नही सरकार इस सख्या के आधार पर रीजनल रूरल बैंक की शाखाये खोलती है ?

दूसरी बात मै यह कहना चाहता हू कि इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि ये बैंक जो कर्ज देते है उसमे से बहुत ही कम पैसे की वसूली हो पाती है । रीजनल रूरल बैंको पर जो स्टडी टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके अनुसार रीजनल बैंको का जो कर्ज है उसका केवल 92 प्रतिशत ही वसूल होता है और जो कामर्शल बैंक है उनकी वसूली भी बेहतर नही है तथा कोआपरेटिव जो बैंक है उनकी वसूली भी इससे बेहतर नही है । इस प्रकार बडी रकम की वसूली न होने के क्या कारण है इन पर सरकार को विचार करना चाहिए । मेरी समझ से इसके चार पाच कारण है । एक तो सूद की ऊची दर है जो बैंक वाले कर्जदार से लेते है उनमे वे चक्रवर्ती ब्याज लेते है । सूखे, बाढ का भी असर इस इलाके मे अधिक होता है जिसके कारण बैंको मे दिया गया कर्ज वसूल नही होता है । इस रिपोर्ट मे यह कहा गया है कि अगर कर्ज को रिशेड्यूल कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा । लेकिन रिशेड्यूलिंग करने से समस्या का समाधान नही होगा । इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि ये कर्ज सीमा तक किसानों को, पिछडे लोगो को वीकर सेक्शन्स को हरिजनो को दिए जाते है । इसलिए रीजनल रूरल बैंक के जो कर्ज है उनकी दर 4 प्रतिशत से ज्यादा नही होनी चाहिए । उनसे डिफरेंशल रेट आफ इटरेस्ट लिया जाना चाहिए यह मेरा पहला सुझाव है । **(समय की घटी)**

श्रीमन् मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो चक्रवर्ती ब्याज इन लोगो से वसूल किया जाता है, वह बंद किया जाए । तीसरा सुझाव मेरा यह है कि बैंक अगर मूलधन का दुगुना प्राप्त कर चुके हैं सूद समेत तो उस कर्ज को माफ कर देना चाहिए जैसा कि मनीलेंडरस एक्ट मे व्यवस्था है । अगर मनीलेंडर्स ऐक्ट में ऐसी व्यवस्था है गांव के लोगो को सूदखोरो से बचाने के लिए तो बैंको के लिए ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिए । चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकों के पास पैसे कम है कर्ज देने के लिए । इसलिए अधिक लोगो को वह कर्ज नही दे पाते है । पहले जो एक्ट बना था उसमे प्रावधान था । जो डिपोजिट 6.00P.M. होगा और जो स्पोंसर्ड बैंक होगे या नया नाबार्ड बैंक होगा वह कर्ज देगा उससे गरीबो को कर्ज मिलेगा । लेकिन पाया यह जाता है कि स्पोन्सर्ड बैंक एक परसेंट से दो परसेंट तक ही कर्ज दे पाते है । नाबार्ड भी बहुत कम फाइनेंस करता है । मेरा सुझाव है कि नाबार्ड को पूरा 50 परसेंट फाइनेंस करना चाहिए और जो सपोसर्ड बैंक है उनको 20 परसेंट करना चाहिए ।

तीसरी बात यह है कि शड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को कारपोरेशन का प्रोग्राम पचायतो को और हाउसिंग बोर्ड को बैंकों से कर्ज मिलना चाहिए । बैंक जो घाटे मे जा रहे है उनको घाटा बर्दाश्त करना चाहिए । स्पोंसर्ड बैंक को भी घाटा बर्दाश्त करना चाहिए । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार जो है उनको भी घाटा बर्दाश्त करना चाहिए । अंत मे यह कहूगा कि प्रबन्ध मे किसानो का प्रतिनिधि, कर्मचारियो का प्रतिनिधि रखा जाना चाहिए । इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हू ।

श्री सागर रायका (गुजरात) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के सशोधन के बारे मे जो बिल राज्य वित्त मंत्री श्री पुजारी जी लाये है उसका मै स्वागत करता हू और ग्रामीण विकास बैंको के द्वारा हम यह करना चाहते है । इस सदन के सभी साथियो को पत है कि इस देश मे समाजवाद की बात 1969 मे स्वर्गीय आदरणीय उस वक्त की बड़ी प्रधान श्रीमती इदिरा गाधी ने की और इस

[श्री सागर रायका]

देश में बैंको के नेशनलाइजेशन का ख्याल किया। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने भी कहा था इस देश के गांव और गरीब आदमी जब तक अपने आप को सक्षम करके अपनी जीविका नहीं कमा सकेगा, उसको आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक इस आजादी का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस समाजवादी कार्यक्रम में आगे बढ़ रही थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की उस टाइम में कांग्रेस के अंदर खिलाफत होते हुए भी इस देश को ऊपर उठाने के लिए जो गांव में बैठे हुए हैं छोटे किसान हैं उनको आगे लाने के लिए बैंको का नेशनलाइजेशन किया। उसकी बड़ी कीमत इस देश को उस टाइम में देनी पड़ी। देश का एक सामान्य आदमी जो गांव में बैठा है ग्रामीण विकास का आधार स्तम्भ है उसके लिए, उसके विकास के लिए उसकी आजीविका के लिए बैंको के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उस ऋण की सुविधा को बढ़ाने के लिए रीजनल रूरल डवलपमेंट बैंक की स्थापना 1976 में की गयी। उसके बाद बैंक नेशनलाइज्ड हो गये तो पहले उनके पास जाकर छोटे किसान के लिए, गरीब आदमी के लिए कर्ज लेना आसान नहीं था। इस देश की यह कांग्रेस की सरकार ही है जिसने इस देश के गरीब आदमी को, छोटे किसान को कर्ज दिलाने में मदद की। पहले इस कार्यक्रम के आधार पर बड़े-बड़े पूंजीपति उस धन का उपयोग अपने फायदे के लिए करते थे। वह धन देश की गरीब जनता तक नहीं पहुंचता था। पुजारी जी ने बताया कि विपक्ष के माननीय सदस्य जो इस सदन के बड़े सीनियर साथी हैं उन्होंने अपने आप को लपेटा तो मैं खुलकर कहूंगा कि इस देश में इस देश के लोगों को जो ऋण दिया जाता है।

उस ऋण को वापस करने के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों को मदद दी है जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार ने गरीब लोगों की मदद के लिए प्लेटफार्म बनाया तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उस प्लेटफार्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं। देवीलाल जैसे लोग ग्रामीण लोगों से कहते हैं कि तुमको जो ऋण दिया गया है उसको वापस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग इस देश का विकास और ग्रामीण लोगों का विकास नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आवाज उठाई थी और बैंको का नेशनलाइजेशन किया था। इन लोगों ने उस वक्त बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया। श्रीमती इंदिरा गांधी आम लोगों की भावनाओं को जानती थीं और उनकी मांग को देखते हुए सन् 1971 में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया। इस बात के लिए कांग्रेस ने अपना कार्यक्रम बनाया। इस देश के लोगों ने कांग्रेस को फिर से अपना मत दिया। जिन लोगों ने उस वक्त इन चीजों का विरोध किया था वही लोग आज ग्रामीण विकास की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि रीजनल रूरल बैंकों के जरिए गांव-गांव में बैंकों की शाखाएं खुलेंगी और हमारे किसान भाइयों को मदद मिलेगी। गांवों में जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, जो अपना उद्योग चलाना चाहते हैं, अपनी जिन्दगी चलाना चाहते हैं उनको इन बैंकों के जरिए कर्ज मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में इन बैंकों की शाखाएं खुलें, इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए। हर जिले में ग्रामीण बैंक की सुविधा होनी चाहिए। ग्रामीण विकास की आपकी जो कल्पना है, उसके लिए प्रयास होना चाहिए। जैसा हमारे पचौरी जी ने कहा, हमारे देश में सहकारी बैंक भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नाबार्ड भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ कमियां भी हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए और सरकार को इन पर अपना कंट्रोल रखना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन बैंकों के कामकाज को

चेक करे और यह देखे कि इन बैंकों से हमारे ग्रामीण भाइयों को जो लाभ मिलना चाहिए वह मिलता रहे। देखने में यह आता है कि जो इन बैंकों के चेयरमैन या डायरेक्टर होते है वे अपने बच्चों को ही इनमे नियुक्त कर देते है और जो इस देश के गरीब हरिजन, पिछडे वर्गों के लोग है उनको नौकरी नही मिल पाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जहा इन बैंको के जरिए हमारे गरीब लोगों को ऋण मिले वहा इन नियुक्तियो पर भी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए और इसका प्रोविजन किया जाना चाहिए। जब हम ग्रामीण विकास की बात करते है तो हमे इन बैंकों के जरिए किसानो हरिजनों और पिछडे वर्ग के लोगो को ऋण देने की सुविधा देनी चाहिए और इसके ऊपर सरकार का चेक होना चाहिए। इसलिए यह भी जरूरी है कि इन बैंकों के अन्दर प्रजा के प्रतिनिधि होने चाहिए। जहां इन बैंकों में नेशनलाइज बैंको रिजर्व बैंक के सदस्य हों, वहा इनमे महिलाओं और युवाओं के प्रतिनिधि भी हों जो अच्छी प्रकार से इन बैंको का प्रचार गांवों मे कर सके और लोगों को इनके फायदे बता सके। मै यह भी चाहता हू कि इन सब चीजों को मोनीटर करने के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। अगर इन बैंकों मे प्रजा के प्रतिनिधि होंगे तो वे हमारे 20-सूत्री कार्यक्रम का भी प्रचार कर सकते है। 20-सूत्री कार्यक्रम और रीजनल रूरल बैंको के जरिए हम इस देश के आम लोगों तक पहुंच सकते है और उनको सुविधाए दे सकते है।

इसलिए मै आपसे अनुरोध करना चाहता हू कि आप इन बैंकों मे प्रजा के प्रतिनिधियों को अवश्य रखे। साथ ही जो हमारे देश मे वीकर सेक्शन है, आदिवासी है, हरिजन है, जो अधिकतर गांवों में रहते है उनको इन बैंकों मे अधिक से अधिक मदद मिलनी चाहिए और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रोग्राम्स है उनका इनमे प्रचार होना चाहिए। मोनीटर करने की बात मै आपसे कह चुका हू। इन सब कामो का बडे पैमाने पर प्रचार होना चाहिए। अगर ग्रामीण विकास की योजनाओं का गांवों मे अच्छा प्रचार होगा तो हमारे किसान भाई उसका फायदा उठा सकते है। इन शब्दों के साथ मे इस बिल का समर्थन करता हूं।

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) The Direct Tax Laws (Amendment) Bill, 1987.

(II) The Commission of Sati (Prevention) Bill, 1987.

(III) The Chandigarh (Delegation of Powers) Bill, 1987

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha

I

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Direct Tax Laws (Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 15th December 1987.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India"

II

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Commission of Sati (Prevention) Bill, 1987 as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 15th December 1987."

III

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in